न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/44/2025	2025/111	02.06.2025	19.01.2026

1. विजेन्द्र पुत्र परभाती जाति ब्रहम्ण निवासी ग्रमा बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

1. महेश पुत्र परभाती,
2. कृपा पुत्री परभाती
3. बीना पुत्री परभाती
4. मुकेश पुत्र परभाती
5. रमेश पुत्र परभाती
6. राजेन्द्र पुत्र परभाती
7. सुनीता पुत्री परभाती
8. सरोज पुत्री परभाती
   जातियान ब्राहम्ण निवासीसान ग्राम बीजवाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।
9. सोनू शर्मा पत्नि दशरथ ब्राहम्ण निवासी बिजवाड नरूका मालाखेडा

—असल/प्रतिवादीगण

10. उप पंजीयक मालाखेडा जिला अलवर।
11. तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर।

—तरतीवी अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01— श्री राकेश इब्राहीम —वकील प्रार्थी
02— श्री फकरूद्दीन —वकील अप्रार्थी सं. 9

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर के प्रकरण बउनवान विजेन्द्र बनाम महेश वगे0 अन्तार्गत धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर के समक्ष एक वाद संख्याक 01/57/24 बअनुवान महेश वगैरहा बनाम विजेन्द्र के नाम से विचाराधीन है कि जो वाद वादीगण/असल अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण के विरूद्ध तहत अदालत के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वादीगण/असल अप्राथीगण आये दिन कोर्ट परिसार व गाँव में कहते फिरते हैं कि उनकी तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से पूरी तरह से सांठ गांठ है। वह वाद को प्रतिवादी/प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित करा लेंगे। प्रार्थी/प्रतिवादी ने भी असल अप्रार्थीगण को कचेहरी परिसार एस. डी. ओ. ऑफिस मालाखेडा के कार्यालय में आते–जाते देखा है। प्रतिवादी ने भी पीठासीन अधिकारी एस. डी. ओ. मालाखेडा से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कचेहरी परिसार व गांव बस्ती में श्रीमान पीठासीन अधिकारी से वाद वादीगण के पक्ष में निर्णित करने की ऐलानिया धमकी देने की बात कही। कि जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यह मेरा कार्यक्षेत्र है। मैं किसी के हक मे फैसला करूं। मुझे रोकने वाला कौन होता है। जो मेरी सेवा करेगा। मैं उसी के हक में फैसला सुनाऊंगा। पीठासीन अधिकारी से प्रतिवादी/प्रार्थी ने कहा कि साहब मैं गरीब हूँ। हम सेवा चाकरी नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई सेवा शुल्क दे सकते है। वादीगण/अप्रार्थीगण बाहुबली वो राजनैतिक पहुंच वाले रसूकदार सख्स है कि जो बाहुबल, धनबल तथा राजनैतिक पहुंच का दुरूपयोग कर रहे है। इस पर पीठासीन अधिकारी ने हमे अपने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। पीठासीन अधिकारी एस. डी. ओ. मालाखेडा वादीगण/असल अप्रार्थीगण के दबाव व प्रभाव में है कि जिस कारण तजवीज वाद को अपने हक में निर्णित करा लेने की धमकी दे रहे है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी एस. डी. ओ, मालाखेडा से मिन प्रार्थी/प्रतिवादी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश उक्त मुकदमे को अलवर क्षेत्र के किसी भी दीगर न्यायालय में विचारण कराना चाहता है ताकि प्रार्थी को मुकदमे में न्याय निर्णय हो सके। जिस हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा मे पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र धारा 24 सीपीसी मंजूर कर मुकदमा संख्या 01/57/24 तजवीज अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर बअनुवान मुकदमा :महेश वगैहरा बनाम विजेन्द्र वगैहरा को किसी दीगर राजस्व न्यायालय मे न्याय निर्णय वो निस्तारण हेतु मुन्तकिल करने की कृपा की जावे।

अप्रार्थी सं. 1 ला० 8 की ओर से बी. आर. सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब एवं वकालतनामा हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। इसलिए अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कर दिया गया है। अप्रार्थी सं० 9 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में जानबूझकर मुझ अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निरर्थक एवं निराधार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र, इसी स्तर पर खारिज फरमावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि उक्त उनवानी प्रकरण मुकदमा नंबर 01/57/24 बउनवान बअनुवान विजेन्द्र वादी (बनाम) महेश वगै0 प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए बेबुनियाद बताया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जा रही है। मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियम से पेश किया गया है। तथापि उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है। प्रथम दृष्ट्या पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)